

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रुल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर की अभिशंषा के आधार पर श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 12.03.2018 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा परिवीक्षण काल /स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2015 दिनांक : 26/03/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
5. श्री बच्चू सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि इब्राहिमपुर, रूपवास, भरतपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर